न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–सुनिता चौधरी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 54 / 2024

खरताराम पुत्र मानाराम
बनाम
प्रहलादराम पुत्र मानाराम वगैरा

दिनांक .02.2026

उक्त अपील राज0 भू राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर द्वारा अंतर्गत धारा 111, 128 आरएलआर एक्ट के तहत राजस्व आवेदन संख्या 183 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 20.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी प्रत्यर्थी सं0 1–प्रार्थी–प्रहलादराम ने विप्रार्थीगण–अपीलांट एवं रेस्पो0सं0 2 से 8 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आग्रह किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि तहसील बाडमेर ग्रामीण के ग्राम बेरिवाला गांव के खसरा नम्बर 640 / 491 रकबा 5.8275 हैक्टर आयी हुई है। जिसके सेढा–सेढ विप्रार्थीगण के खेतो की पुरानी मांठे एवं कणें आंधियों की वजह से विखर जाने से सीमाज्ञान नही हो रहा है। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान हेतु प्रस्तुत आवेदन पर हल्का पटवारी द्वारा सीमाज्ञान किया गया और उक्त खसरें का पडौसी खेत से सेढों का दबा होने के कारण, मौके पर विवाद होना माना गया। अतः प्रार्थी के खातेदारी खसरान की भूमि की पक्की नेखमबंदी / पत्थरगढी का आदेश फरमावे। जिसे अपीलाधीन आदेश द्वारा स्वीकार कर तहसीलदार बाडमेर को कमिश्नर नियुक्त कर, प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सूचित कर वादग्रस्त खसरान की पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1–खरताराम ने राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अपील के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा करने हेतु मियाद अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र मय श0प0 प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण का गुणावगुण पर परीक्षण किया गया।

2/2/26.
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

वकील अपीलांट श्री लाधूराम पूनिया व रेस्पो0सं0 1 के अधिवक्ता श्री जोगाराम पोटलिया एवं रेस्पो0सं0 9 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध एवं एकतरफा पारित किया गया है। आलौच्य प्रकरण अपीलांट को नोटिस/सूचना दिये बिना दिनांक 20.5.25 को प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प कोर्ट कुडला ले जाकर, तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाये बिना निर्णित कर दिया गया। जिससे अपीलांट को जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने अथवा सुनवाई का अवसर नही मिला। रेस्पो0–प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वादग्रस्त खसरान के सेढा पर कणे व मांठ नही होने के झुठे अभिकथन किए गये है कि जबकि उसके खसरान के तीन तरफ पुरानी तारबंदी की हुई है तथा एक तरफ पट्टियां रोपकर दीवार बनायी हुई है। अपीलाधीन आदेश सरसरी तौर पर बिना पैमाईश रिपोर्ट मंगवाये पारित कर दिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0 सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.07.22 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें अपीलांट–विप्रार्थी सं0 1 जरिये अधिवक्ता दिनांक 16.8.22 को उपस्थित हुए, लेकिन इनकी ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। प्रार्थी द्वारा सीमाज्ञान का आवेदन प्रस्तुत करने पर तहसीलदार बाडमेर के पत्रांक 3910 दिनांक 29.07.16 द्वारा हल्का पटवारी कुड़ला को वादग्रस्त खसरान का सीमाज्ञान रूबरू मौतबिरान करवाने हेतु आदेशित किया गया। मौके पर अपीलांट का सीमा विवाद होने से सीमाज्ञान की कार्यवाही नही हो सकी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में तहसीलदार बाडमेर को कमिश्नर नियुक्त कर प्रार्थी व अप्रार्थीगण को सूचित करते हुए पत्थरगढी करवाने हेतु आदेशित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 9 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर प्रकरण में विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं पत्रावली एवं रेकर्ड पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन व मनन किया गया। प्रकट तथ्यों के आधार पर आलौच्य प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 कोर्ट कैम्प कुड़ला में सुनवाई हेतु रखी जाने से पूर्व विप्रार्थीगण को सूचित किए जाने संबंधी तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नही है। इसके अलावा आलौच्य प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का भी अभाव है। इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत नही होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडमेर द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 183/2022 बअनवान प्रहलादराम बनाम खरथाराम वगैरा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.05.2023 निरस्त किया जाता है। साथ ही उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलाधीन खसरान की भूमि का सीमांकन एवं पत्थरगड़ी हेतु अपीलांट एवं रेस्पो0 तथा अन्य सभी हितबद्ध पक्षकारान को पक्षकार संयोजित कर उनकी सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर, विधिवत तामिली के पश्चात, तहसीलदार की रिपोर्ट प्राप्त कर सीमांकन एवं पत्थरगढी हेतु विधिसम्मतः आदेश पारित करावे।

निर्णय आज दिनांक 2.2.26. को खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे।

2.2.26.

(सुनिता चौधरी)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर